/ / 1 / /

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : – 114 / 2022

उनवान

1. कालू पुत्र हरचन्द,
2. मोटाराम पुत्र हरचन्द,
3. संतोक पत्नि हरचन्द समस्त जातिगण जाट निवासी लोहरवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

——वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम्

1. उगमीदेवी पत्नि किशननाथ,
2. पप्पूनाथ,
3. प्रेमनाथ,
4. मेवानाथ,
5. लालानाथ पुत्र किशननाथ,
6. लाली पुत्री किशननाथ समस्त जातिगण जोगी निवासी लोहरवाडा तहसील नसीराबाद,
7. न्यायीदेवी पुत्री गोरधननाथ पत्नि नारायणनाथ जाति जोगी निवासी नगर तहसील मसूदा,
8. प्रेमदेवी पुत्री गोरधननाथ पत्नि मदननाथ जाति जोगी निवासी सरगांव तहसील किशनगढ़,
9. उपपंजीयन अधिकारी नसीराबाद,
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

——— प्रतिवादीगण :– 1 से 8 अनुपस्थित,
9 व 10 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 5/8/24

वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम लोहरवाडा के वंकिंग खसरा नम्बर 3924 रकबा 2–14–0 के हाल खसरा नम्बर 278 रकबा 0.04 व 273 / 5249 रकबा 0.40 की आराजी तत्कालीन खातेदार धूलनाथ पुत्र गोपालनाथ के द्वारा वादी संख्या 1 से 3 के पिता / पुति हरचन्द पुत्र दगना को दिनांक 21.12.73 को बेचान कर कब्जा व दखल सौप दिया था। [illegible] वारिसान का चला आ रहा है। धूलानाथ व उसके पुत्र किशननाथ की मृत्यु [illegible] गयी जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 8 है तथा केता हरचन्द की [illegible] जिसके वारिस वादीगण है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुत[illegible] से 6 के नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज कर दी

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:19:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

गयी है। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।
प्रकरण का खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में विकय पत्र व राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।
बहस उभयपक्ष सनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नमबर 3924 रकबा 2–14–0 वंर्किग जमाबंदी में धूलनाथ पुत्र गोपालनाथ के नाम खातेदारी दर्ज है। तत्कालीन खातेदार द्वारा उक्त आराजी जरियें विकय पत्र दिनांक 21.12.73 को हरचन्द पुत्र छगना जाति जाट कों विकय कर दिया। उत विकय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। तत्कालीन खातेदार ने पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का बैचान किया है तथा कब्जा केता को सुपुर्द किया है। वादीगण केता के वारिस है। विकेता धूलनाथ पुत्र गोपालनाथ की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस हाल राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 278 रकबा 0.04 व 273/5249 रकबा 0.40 की आराजी विकय के बाद विकेता व उसके वारिसान के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम उक्त आराजी का अंकन त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जाकर ग्राम लोहरवाडा स्थित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 278 रकबा 0.04 व 273/5249 रकबा 0.40 की आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। हसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:19:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कालू बनाम उगमी देवी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिलिनयम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 114/2022
पेश करने की दिनांक – 04.08.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जाकर ग्राम लोहरवाडा स्थित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 278 रकबा 0.04 व 273/5249 रकबा 0.40 की आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। हसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 8 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:19:14 IST
Reason: SelfAttested